FCC1718A0031

कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय

क्रमांकः जिरअज–II/लेखा/6ए/निलामी/2017/10331 दिनांकः 5.10.17

: निलामी नोटिस :

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के अन्तर्गत में जब्त डीजल व अन्य सामान की खुली नीलामी थाना पनियाला में दिनांक 13 व 14.11.02017 एवं दिनांक 17 व 18.10.2017 को दोपहर 01.00 बजे की जानी है। नीलामी से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं शर्ते http://SPPP.raj.nic.in तथा http:www.food.raj.nic.in पर देखी जा सकती है।

जिला रसद अधिकारी
जयपुर द्वितीय

क्रमांकः जिरअज–II/लेखा/6ए/निलामी/2017/10339 to 41 दिनांकः 6.10.17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राज. जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण
4. वित्तिय सलाहकार, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राज. जयपुर।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर
6. संबंधित उपखण्ड अधिकारी
7. कोषाधिकारी जयपुर ग्रामीण
8. जिला समन्वय, ऑयल इण्डस्ट्रीज, 34/448 प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर
9. संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना पनियाला जिला जयपुर ग्रामीण
10. रक्षित पत्रावली।

जिला रसद अधिकारी,
जयपुर द्वितीय

कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय

क्रमांक: जिरअज–II/लेखा/6अ/निलामी/2017/10542-10550 दिनांक: 5.10.17

निलामी विज्ञप्ति सं. 2/2017

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए (2) के अन्तर्गत विभिन्न प्रकरणों में जब्लशुदा (पेट्रोल,डीजल,ऑयल) वस्तुओं (ड्रम आदि) के अंतरिम निरस्तारण के आदेश पारित किये गये है। अन्तरिम निरस्तारण योग्य वस्तुओं की इस कार्यालय द्वारा निम्न सामग्री को खुली बोली द्वारा "जहां है जैसा है" के आधार पर गठित कमेटी द्वारा निम्नानुसार स्थान एवं दिनांक को अपरान्ह 01.00 बजे से निलामी प्रारम्भ की जावेगी। इच्छुक सक्षम खरीददार निर्धारित धरोहर राशि निलामी दिनांक को 12.00 बजे पूर्व तक जमा करवाकर निलामी में भाग ले सकते है:–

क्र. सं.	सामग्री का नाम	स्थान जहां सामग्री निलाम की जानी है।	मात्रा	अनुमानित लागत लाख में	धरोहर राशि	निलामी की दिनांक
1	डीजल	पुलिस थाना पनियाला	19941 ली.	13.64	27280/–	13.11.2017 14.11.17
2	डीजल	पुलिस थाना पनियाला	11991 ली.	7.43	14800/–	
3	डीजल	पुलिस थाना पनियाला	1700 ली.	1.05	2100/–	17.10.17 व 18.10.17
4.	डीजल	पुलिस थाना पनियाला	1800 ली.	1.12	2200/–	
5.	डीजल	पुलिस थाना पनियाला	1538 ली.	.95	1900/–	
6.	अन्य प्रकरण यदि कोई हो जिसमें जिला कलक्टर महोदय के अंतरिम निरस्तारण का आदेश प्राप्त हो गया हो तो उसकी निलामी भी की जावेगी।					

नोट:–

1. निलामी उक्त आईटमवार पृथक–पृथक करवाई जावेगी।
2. यदि बोलीदाता एक से ज्यादा आईटम के लिये बोली देना चाहता है तो उसे आईटमवार अलग–अलग धरोहर राशि जमा करानी होगी।
3. धरोहर राशि कॉलम 5 में दर्शायानुसार बोली के निर्धारित समय से पूर्व डीडी/बैंकर चैक/नगद द्वारा जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वितीय के नाम से नीलामी कमेटी को जमा करवाना होगा।
4. बोलीदाता स्वयं उपस्थित होकर बोली में भाग ले सकेगा।
5. बोलीदाता के पास आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत 30 लीटर पेट्रोल व एक हजार लीटर डीजल से अधिक क्रय का वैध लाईसेंस होना अनिवार्य है।
6. उक्त आईटम जैसा है जहां है तथा जैसी स्थिति में है के आधार पर विक्रय किया जायेगा।
7. इच्छुक बोलीदाता भण्डारित पदार्थ का नियमानुसार निरीक्षण कर सकता है।
8. सामान का विस्तृत विवरण कार्यालय में ज्ञात किया जा सकता है।
9. यदि कोई लाईसेंधारी क्रेता नहीं मिलता है तो ग्राहक उपलब्ध होने पर एक–एक हजार के लोट बनाकर निलामी की जावेगी।

निलामी की शर्ते

10. डाक/दूरभाष/ई–मेल द्वारा बोली मान्य नहीं होगी।
11. गठित निलामी समिति के समक्ष निलामी की जावेगी।
12. उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में बोली छूटने पर बोलीदाता को कुल कीमत की 1/4 राशि तुरंत जमा करानी होगी एवं शेष राशि अगले दिन कार्यालय समय में जमा करानी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा राशि जमा न करवाने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
13. सफल बोलीदाता द्वारा भण्डारण स्थल से पदार्थ/वस्तुओं का उठाव निलामी स्वकृति दिनांक से 15 दिन की अवधि में किया जायेगा।
14. सफल बोलीदाता को केन्द्र/राज्य सरकार के नियमानुसार समस्त कर (आयकर/बिक्री कर/वेट इत्यादि जो भी देय हो) देना होगा।
15. सफल बोलीदाता लाईसेंस एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार ही उठाव करेगा।
16. बोली स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार समिति/विभाग के पास सुरक्षित रहेगा तथा कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।

17. निलामी के संदर्भ में अन्य किसी जानकारी हेतु जिला रसद अधिकारी कार्यालय जयपुर द्वितीय के कार्यालय में कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।
18. न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
19. निलामी सूचना sppp पोर्टल एवं खाद्य विभाग की वेबसाईट पर देखी जा सकती है।

(प्रवीण कुमार अग्रवाल)
जिला रसद अधिकारी
जयपुर द्वितीय

प्रकाशन के लिये नहीं

क्रमांक: जिरअज- II / लेखा / 63I / निलामी / 2017 / 10352-70 दिनांक: 6.10.17
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राज. जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण
3. वित्तिय सलाहकार, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राज. जयपुर को भेजकर निवेदन है कि निलामी की जाने वाली सामग्री क्रम संख्या 1 व 2 का अनुमानित मूल्य 5 लाख से अधिक है। अतः आप स्वयं उपस्थित होवे या आपके प्रतिनिधि को निलामी के लिये नियुक्त करने कष्ट करें।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर
5. संबंधित उपखण्ड अधिकारी
6. कोषाधिकारी जयपुर ग्रामीण निलामी प्रकिया में भाग लेने अथवा अपने प्रतिनिधि को भिजवाने बाबत।
7. जिला समन्वय, ऑयल इण्डस्ट्रीज, 34 / 448 प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर
8. संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना पनियाला जिला जयपुर ग्रामीण
9. रक्षित पत्रावली।

जिला रसद अधिकारी,
जयपुर द्वितीय

D:\niranjan 10-6-16\Kunwar JI\Neelami.doc